समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 190/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री अमरेन्द्र ना0 झा, पिता- लीलानन्द झा, सा0-खोरागंज, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 2526 (अमृतसर) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र श्री नन्दन कुमार झा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- अमरेन्द्र ना0 झा की मृत्यु दिनांक 27-09-2012 हो चुकी है और एक नाली बन्दूक संख्या-ए-1 15530/90 दिनांक 05-10-2013 को उदाकिशुनगंज थाना में जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् अमरेन्द्र ना0 झा को प्रदत्त एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 2526 (अमृतसर) को रद्द किया जाता है।

श्री नन्दन कुमार झा को आदेश दिया जाता है कि वे अपने पिता स्व0 अमरेन्द्र ना0 झा को प्रदत्त एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 2526 (अमृतसर) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी के पुत्र श्री नन्दन कुमार झा द्वारा एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 2526 (अमृतसर) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 49 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-2014

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री नन्दन कुमार झा, पिता- स्व0 अमरेन्द्र झा, सा0-रामपुर खोड़ा, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा